खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

वाहन अधिहरण अपील वाद संख्या–02/2026

जिला–पटना

ज्ञान्ति देवी ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, पटना एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

15.05.2026

A. वर्तमान अपील समाहर्त्ता, पटना के खनन अधिहरण वाद संख्या–03/2024–25 में दिनांक–13.06.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

B. 1. मामला संक्षिप्त में यह है कि दिनांक–01.03.2024 को नेउरा थाना के समीप अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध छापेमारी के क्रम में (वाहन संख्या–BR24G-1149 को) लघु खनिज गिट्टी लदे बिना परिवहन चालान तथा ओवरलोड परिवहन करते हुए पाया गया।

2. वाहन को उक्त उल्लंघन के कारण विधिवत जप्त करते हुए नेउरा थाना में सुरक्षार्थ सुपूर्द किया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा जप्त वाहन के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-9420/2024 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–21.01.2025 के आदेश से समाहर्त्ता, पटना के समक्ष लंबित अभ्यावेदन का निपटारा करने का निदेश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी गई।

4. समाहर्त्ता, पटना द्वारा खनन अधिहरण वाद संख्या–03/2024–25 में दिनांक–13.06.2025 को पारित आदेश से बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रावधानों के तहत वाहन को राज्यसात कर लिया गया।

C. अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में दण्ड एवं शमन शुल्क की राशि को किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने का अनुरोध किया जा रहा है।

D. 1. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–56(4) के तहत जप्त सभी सामग्री को समाहर्त्ता के आदेश से राज्यसात किये जाने का प्रावधान है, यदि खनिज मूल्य एवं शमन शुल्क का भुगतान उल्लंघन के पता चलने के एक माह के भीतर नहीं किया जाता है।

2. वर्तमान मामले में समाहर्त्ता द्वारा नियमों के आलोक में ही वाहन को राज्यसात किया गया है।

3. नियमावली में शमन शुल्क किस्त में भुगतान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. चूँकि वाहन बगैर वैध चालान के लघु खनिज का परिवहन कर रहा था एवं अपीलकर्त्ता द्वारा निर्धारित अवधि में दण्ड की राशि जमा नहीं की गई, इसलिए समाहर्त्ता, पटना के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए अपील खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ....3213........ /एम0, दिनांकः–...15/05/26......

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, पटना/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, पटना/ ज्ञान्ती देवी, पति–स्व0 संजय सिंह, मो0–गणेशलाल रोड, दीघा घाट, दानापुर, थाना–दीघा, जिला–पटना, पिन–800012, मो0–8340131008, ई–मेल–alokbesra@hotmail.com/sanjaysingh11277@gmail.com/ आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/5/26
विधि पदाधिकारी